मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक सी/3-17/96/3/एक

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय .—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में संशोधन.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 में संशोधन किया गया है. उक्त संशोधन की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-10-96 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई है, की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

क्रमांक सी/3-17/96/3/एक

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 1996

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.
   महानिदेशक प्रशासन अकादमी, म. प्र. भोपाल.
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
   राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
3. मा. मुख्यमंत्री जी/उप मुख्यमंत्री जी/ मंत्रिगण एवं राज्यमंत्री गण के निज सचिव/निज सहायक, म. प्र.
4. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल.
7. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
8. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय.
10. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी/पुस्तकालय, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.
11. आयुक्त, जनसंपर्क म. प्र. भोपाल.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव.
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

एफ.क्र सी-3-17-96-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम-6 के उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अत: स्थापित किया जाये, अर्थात :—

"(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 1996

एफ.क्र सी-3-17-96-3-एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. सी-3-17-96-3एक, दिनांक 25 अक्टूबर 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. सी. पण्डया, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th October 1996

F.N.C-3-17-96-3-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following an amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules; namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (3) of rule-6, the following sub-rule shall be inserted namely :—

"(4) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has been convicted of an offence against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a candidate his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Criminal Case."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. C. PANDYA, Addl. Secy.